5?2/1

दूरभाष : 2286709
2286710
नव चेतना केन्द्र 10 अशोक मार्ग, लखनऊ 226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण,उ.प्र.

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0 SUDA

पत्रांक : 4905 /05/76/एक/2015–16 दिनांक : 26 मार्च 2016

सेवा में,

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण
जनपद फैजाबाद।

विषय : वित्तीय वर्ष 2015–16 में सूडा द्वारा आपके जनपद (डूडा) को अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में स्वीकृत परियोजनाओं की धनराशि का प्रेषण।

महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 में आपके जनपद को शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु (अनुदान संख्या–37/83) में निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशि अवमुक्त की जा रही है:–

धनराशि का प्रेषण (लाख रू0 में)			
बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	धनराशि
एक्सिस बैंक	914010006176029	IFSC Code UTIB0000377	208.882

(धनराशि, लाख रू0 में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	द्वितीय किश्त की धनराशि का प्रेषण
1	फैजाबाद	अल्पसंख्यक–37 बजट	न0पा0प0 रूदौली	वार्ड नं0 24 कजियाना मे मरहूम हाजी मद्दन के घर से निजाम के घर तक, स्व0 समषाद अली के घर से मस्जिद तक, इण्टरलाकिंग से अब्दुल रहमान के घर से आगे तक, फेमरा के घर से जुबेर, पप्पू के घर से अयुब सिपाही के घर तक, घनश्यामदास के घर से जामलकुरेशी के घर तक, मौलाना साकिर के घर से शिव प्रकाश के घर तक, शिवप्रकाश के घर से मौलानासाकिर के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	23.794
2	फैजाबाद	अल्पसंख्यक–37 बजट	न0पा0प0 रूदौली	वार्ड नं0 21 कटरा में सकील के घर से मो0 इन्द्रीश के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	6.001
3	फैजाबाद	अल्पसंख्यक–37 बजट	न0पा0प0 रूदौली	वार्ड नं0 17 पूरे बरावन में साबरी मस्जिद से सलमा के घर तक, सलमा के घर से स्व0 एकलाक अहमद के घर तक, मोबिन खान के घर से विष्णु के घर तक, न्यूलाइट स्कूल से मोहर्रम अली व रहीशा के घर तक, असलम के घर से सिकन्दर के घर तक, कलीम के घर से फारूख व बाँद बाबू के घर तक, मो0 सकील के घर से अब्बासअली व साइदखान के घर तक, जउद्दीन के घर से रूस्तम के घर तक, बकार अहमद के घर से मो0 वकील के घर तक एवं बकार अहमद के घर के पीछे से कमरूद्दीन के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	36.481
4	फैजाबाद	अल्पसंख्यक–37 बजट	न0पा0प0 रूदौली	वार्ड नं0 12 मलिकजादा में अतुलस्खान के घर से अब्दुला के घर तक, मन्नार के घर से सकील व ताजुद्दीन के घर तक, अकबर अली के घर से नूरशाह मजार तक, रिजवान के घर से नूरअली के घर तक, अमानउल्ला के घर से बेबू के घर तक, कुतुबुद्दीन के घर से कमरूदीन के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	23.277

क्र0 स0	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	द्वितीय किश्त की धनराशि का प्रेषण
5	फैजाबाद	अल्पसंख्यक-37 बजट	न0पा0प0 रूदौली	वार्ड नं0 10 सोफियाना पूर्वी में मेन रोड से मो0 हनीफ के घर तक, मेन रोड से झिमकान के घर तक, मेन रोड से नफीस व समशेर के घर तक, नफीस के घर से महमूद के घर तक, मो0 आरिफ के घर से अली अहमद के घर तक, मेन रोड से विट्टव क्लीनिक तक, हाजी इलेक्ट्रानिक्स से मो0 दुन्ने के घर तक, मो0 साइम के घर से अमित के घर तक, समीर के घर से शेखपरवेज आलम के घर तक एवं शेखपरवेजआलम के घर से मो0 नसीम के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	30.972
6	फैजाबाद	अल्पसंख्यक-37 बजट	न0पा0प0 रूदौली	वार्ड नं0 15 पूरेमियाँ में फारूख के घर से इण्टरलाकिंग तक, नइमा के घर से सोलिंग तक, साहिद रजा के घर से इण्टरलाकिंग तक एवं मेराज के घर से अहमद अली व जिलानी के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	15.482
7	फैजाबाद	अल्पसंख्यक-37 बजट	न0पा0प0 रूदौली	वार्ड नं0 02 पूरे रसूलबख्श में जन्नेतुलविसा के घर से मस्जिद व अल्ताफ अली के घर तक, जन्नेतुलविसा के घर से अहमद अली के घर तक, गुड्डू के घर से रामधीरज के घर तक एवं हाजी शाहब के घर से सोलिंग तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	12.459
8	फैजाबाद	अल्पसंख्यक-37 बजट	न0पा0प0 रूदौली	वार्ड नं0 07 सोफियाना उत्तरी में मास्टर रियाज के घर से विधायक जी के गेट तक, गुलाब के घर से जावेद के घर तक, मस्जिद से बजरंग के घर तक, माताफेर के घर से कन्धई के घर तक, बजरंगी के घर से इमरान के घर तक, दुर्गा के घर से मजार तक एवं इमरान के घर से पेन्टिंग रोड तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	27.129
9	फैजाबाद	अल्पसंख्यक-37 बजट	न0पा0प0 फैजाबाद	वार्ड नं0 20 शेखाना उत्तरी में हीना सिलाई दुकान से ख्वाजागरीबनवाज मस्जिद तक, ख्वाजागरीबनवाज मस्जिद से शिवदयाल के घर तक, इसरार के घर से नसीम व तालाब तक, इण्टरलाकिंग से कब्रिस्तान तक, चॉद मो0 के घर से मुरारी के घर के आगे एवं मुरारी के घर से सकील व आरामशीन तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	25.739
10	फैजाबाद	अल्पसंख्यक-37 बजट	न0पा0प0 फैजाबाद	वार्ड नं0 16 शेखाना दक्षिणी में हाजी मोहर्रम अली के घर से हाफिज नजर मो0 के घर तक, होली स्थल पर, कल्लू के घर से इस्लाम के घर तक एवं अजमतुल्ला के घर से पानदरीबामोड तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	7.548
	योग				208.882

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में सी0सी0 रोड अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाये:

1– उ0प्र0 सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में सी0सी0 रोड अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु स्वीकृत डी0पी0आर0/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जाये। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।

5923

दूरभाष 2286709
2286710
नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ- 226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

2— स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जायें उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।

3— प्रश्नगत परियोजना में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति आवश्य प्राप्त कर ली जाये तत्पश्चात ही कार्य आरम्भ कराया जाये।

4— अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनान्तर्गत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत्र से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है जिससे कि शासकीय धन का दुरूपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में प्रश्नगत धनराशि तत्काल अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

5— स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय बाध्यता के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।

6— प्रश्नगत परियोजनाओं में स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पादित कराते हुये किया जाये।

7— परिसम्पत्तियों के सृजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुचित रख रखाव में कोई बाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सृजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदाशय की सहमति ले ली जाये।

8— योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2015—16 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नहीं प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित ब्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।

9— उक्त धनराशि सूडा द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य कमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें।

10— प्रश्नगत परियोजना में भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र, राज्य व स्थानीय करों की स्त्रोत पर कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

11— अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी परियोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है, किसी प्रकार का व्ययवर्तन अनुमन्य न होगा, शासन द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि के कम में धनराशि जनपद को अवमुक्त की जा रही है। उपरोक्त अंकित कार्यों में यदि कार्य/धनराशि की दैरावृत्ति हो रही हो तो उसकी सूचना अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिस्ति करें। अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।

12— शासन द्वारा उक्त परियोजना में आगणन के सापेक्ष द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त की गई है जिसमें अनुमन्य सेन्टेज की धनराशि एवं द्वितीय किश्त में 10 प्रतिशत की धनराशि रोककर शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार गुणवत्तापरक कार्य सम्पादित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष भौतिक प्रगति सहित निर्धारित प्रपत्र पर सूचना अभिकरण को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे रोकी गयी धनराशि को अवमुक्त किया जा सके।

भवदीय,

(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. परियोजना निदेशक, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद।
2. अपर निदेशक, सूडा।।
3. अधि0 अभियन्ता—सूडा
4. कम्प्यूटर सेल/लेखा विभाग—सूडा।

(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक